रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032026-271392
CG-DL-E-29032026-271392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1565] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 29, 2026/ चैत्र 8, 1948
No. 1565] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 29, 2026/ CHAITRA 8, 1948

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2026

**का.आ. 1630(अ).**—यतः, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम के अध्याय 1 के सभी या किसी भी उपबंध से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम को छूट प्रदान कर सकती है।

यतः, पेट्रोलियम नियम, 2002 का नियम 201, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर, असाधारण मामलों में, आदेश द्वारा, इन नियमों के सभी या किसी भी उपबंध से पेट्रोलियम के किसी भी वर्ग या वर्गों को, निर्धारित शर्तों पर यदि कोई हो, छूट देने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है।

यतः, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिगत, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उच्च केरोसिन तेल (एसकेओ) का तदर्थ आवंटन पीडीएस एसकेओ मुक्त 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (जिनका विवरण संलग्नक मे उपलब्ध है) सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिवारों द्वारा खाना पकाने एवं प्रकाश की व्यवस्था के लिए करने का निर्णय लिया है।

यतः, पीडीएस एसकेओ के सार्वजनिक वितरण को सुगम बनाने के लिए, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिनांक 12.03.2026 के परिपत्र संख्या VIII(3)125/Circular/Petroleum (जिसे आगे "परिपत्र" कहा गया है) के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएँमसी) को पेट्रोलियम नियम, 2002 के प्ररूप 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त वर्तमान सर्विस स्टेशनों में स्थित शेड में 2500 लीटर तक एसकेओ भंडारण की अस्थायी अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, प्रदान की गई है।

यतः, पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिवारों द्वारा खाना पकाने और प्रकाश की व्यवस्था के लिए पीडीएस एसकेओ के त्वरित वितरण को और अधिक सुगम बनाने के लिए, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मुख्य नियंत्रक ने पेट्रोलियम नियम, 2002 में निहित कुछ अनुबंधों से छूट/अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है, जिनपर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

अतः, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 12 सपठित पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 201 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यहाँ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उल्लिखित पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केवल खाना पकाने एवं प्रकाश की व्यवस्था के उद्देश्य से पीडीएस एसकेओ के वितरण को सुगम बनाने हेतु निम्नलिखित छूट एवं अनुमति प्रदान करती है, अर्थात्:

**1. प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्विस स्टेशनों को अनुमति.-**

पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 141 के अंतर्गत प्ररूप 14 (मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पंप आउटफिट के सम्बन्ध में टैंक या टैंकों में पेट्रोलियम भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति) में अनुज्ञप्ति प्राप्त पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित पीएसयू ओऍमसी के अधिकतम दो सर्विस स्टेशन अधिमानतः कंपनी स्वामित्व एवं कंपनी संचालित (कोको) को मुख्य नियंत्रक द्वारा दिनांक 12.03.2026 को जारी परिपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, थोक भंडारण की निषिद्धता के साथ अधिकतम 5,000 लीटर तक पीडीएस एसकेओ भंडारण की अनुमति प्रदान की जाती है।

**2. एजेंटों/डीलरों के लिए प्ररूप 18 में अनुज्ञप्ति से छूट.-**

पीडीएस एसकेओ के एजेंटों या डीलरों को पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित पीएसयू ओऍमसी के सर्विस स्टेशनों पर पीडीएस एसकेओ के निस्तारण हेतु, प्ररूप 18 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 141 के अंतर्गत प्ररूप 18 (यांत्रिक रूप से चालित यान से कंटेनर में मिटटी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) निस्तारण के लिए अनुज्ञप्ति) में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट प्रदान की जाती है ।

**3. प्ररूप 19 में अनुज्ञप्ति प्राप्त टैंक वाहनों के लिए छूट.-**

प्ररूप 19 (यांत्रिक रूप से चालित यानों अर्थात रिफ्यूलर द्वारा भूमि पर प्रपंज में वर्ग क/ख पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति) में अनुज्ञप्ति प्राप्त टैंक वाहनों को, पीडीएस एसकेओ के निस्तारण हेतु, पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित पीएसयू ओऍमसी के सर्विस स्टेशनों पर, प्ररूप 18 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट प्रदान की जाती है।

**4. शर्तें.-**

(क) उपरोक्त छूट और अनुमति परिवारों द्वारा खाना पकाने और प्रकाश की व्यवस्था के लिए पीडीएस एसकेओ के वितरण पर लागू होंगी और यह वितरण केवल उन निर्धारित सर्विस स्टेशनों पर किया जाएगा जिन्हें संबंधित पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नामित किया गया है।

(ख) किसी भी ऐसे सर्विस स्टेशन पर भंडारित पीडीएस एसकेओ की मात्रा 5,000 लीटर से अधिक नहीं होगी।

(ग) मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी सभी सुरक्षा मानकों, हैंडलिंग प्रक्रियाओं एवं परिचालन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(घ) पीएसयू ओऍमसी के इस प्रकार अभिकल्पित सर्विस स्टेशन पर एसकेओ के निस्तारण, भंडारण एवं वितरण से संबंधित अभिलेख संबंधित पीएसयू ओऍमसी के विक्रय अधिकारी द्वारा संधारित किए जाएंगे तथा जिला प्राधिकारी एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा 60 दिनों की अवधि तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. म-11021(16)/1/2026-डिस्ट्रिब्यूशन-पीनजी]

अरुण कुमार, निदेशक

**संलग्नक**

**पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:**

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2. चंडीगढ़
3. हरियाणा
4. पंजाब
5. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
6. पुडुचेरी
7. आंध्र प्रदेश
8. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
9. राजस्थान
10. उत्तर प्रदेश
11. गोवा
12. गुजरात
13. उत्तराखंड
14. लक्षद्वीप
15. जम्मू और कश्मीर
16. लद्दाख
17. तेलंगाना
18. हिमाचल प्रदेश
19. नागालैंड
20. मध्य प्रदेश
21. सिक्किम

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2026

**S.O. 1630(E).—Whereas,** in exercise of the powers conferred by section 12 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government may exempt any petroleum specified in the notification from all or any of the provisions of Chapter 1 of the said Act by notification in the Official Gazette.

**And whereas,** Rule 201 of the Petroleum Rules, 2002 empowers the Central Government to exempt any class or classes of petroleum from all or any of the provisions of these rules, by order, on the recommendation of the Chief Controller, in exceptional cases, on such conditions, if any, as may be specified in the order.

**And whereas,** in view of the prevailing geo-political situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an *ad hoc* allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs) including 21 States/UTs which are PDS SKO free as detailed at Annexure, for distribution to households for cooking and lighting purposes.

**And whereas**, in order to facilitate public distribution of PDS SKO, the Chief Controller, Petroleum and Explosive Safety Organisation (PESO) vide circular No. VIII(3)125/Circular/Petroleum dated 12.03.2026 (hereinafter referred as "circular") has granted a temporary permission to the Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies

(PSU OMCs) to store SKO up to 2500 litres in a shed within the existing service stations licensed in FORM XIV of the Petroleum Rules, 2002 subject to conditions specified therein.

**And whereas**, in order to further facilitate prompt distribution of PDS SKO to households for cooking and lighting purposes in the PDS SKO free States/UTs, the Chief Controller, Petroleum and Explosive Safety Organisation (PESO) has recommended for grant of certain exemptions/permissions stipulated in the Petroleum Rules 2002 which have been duly considered by the Central Government.

**Therefore,** in exercise of the powers conferred by section 12 of the Petroleum Act, 1934 read with rule 201 of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government hereby exempts and permits, subject to the conditions specified herein, for facilitating distribution of PDS SKO in PDS SKO free States/UTs for cooking and lighting purposes only, namely :

**1. Permission to service stations licensed in FORM XIV.-**

A maximum of two service stations of PSU OMCs preferably Company Owned Company Operated (COCO), as designated by the State Government or Union Territory administration in each district of PDS SKO free States/UTs licensed in FORM XIV (Licence to Store Petroleum in tanks in connection with pump outfit for fuelling motor conveyances) under rule 141 of the Petroleum Rules, 2002 are hereby permitted to store PDS SKO otherwise than in bulk up to 5,000 litres, subject to the conditions specified in the said circular dated 12.03.2026 issued by the Chief Controller.

**2. Exemption from licence in FORM XVIII for agents or dealers.-**

Agents or dealers of PDS SKO are hereby exempted from obtaining licence in FORM XVIII (Licence to Decant Kerosene (Petroleum Class B) from mechanically propelled vehicle in containers) under rule 141 of the Petroleum Rules, 2002, subject to the conditions specified in FORM XVIII, for decanting of PDS SKO at the service stations of PSU OMCs so designated by the State Government or Union Territory administration in each district of PDS SKO free States/UTs.

**3. Exemption for tank vehicles licensed in FORM XIX**.-

Tank vehicles licensed in FORM XIX (Licence to transport Petroleum Class A/B in bulk on land by mechanically propelled vehicles viz. refuelling) are hereby exempted from obtaining licence in FORM XVIII for decanting of PDS SKO at the service stations of PSU OMCs so designated by the State Government or Union Territory administration in each district of PDS SKO free States/UTs.

**4. Conditions.-**

a. the above exemptions and permissions shall be applicable only for distribution of PDS SKO for cooking and lighting purposes at the designated service stations designated by the respective PDS SKO free States/UTs.

b. the quantity of PDS SKO stored at any such service station shall not exceed 5,000 litres.

c. all safety norms, handling procedures and operational guidelines issued by the Chief Controller shall be strictly complied with.

d. records of decantation, storage and distribution of SKO at the service stations of PSU OMCs so designated, shall be maintained by the concerned sales officer of PSU OMC and shall be made available for inspection to the concerned District Authority and the Petroleum and Explosive Safety Organisation.

This Notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force for a period of 60 days or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. M-11021(16)/1/2026-Distribution-PNG]

ARUN KUMAR, Director

**ANNEXURE**

**List of PDS SKO Free States/Union Territories:**

1. NCT of Delhi
2. Chandigarh
3. Haryana
4. Punjab
5. Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

6. Puducherry
7. Andhra Pradesh
8. Andaman & Nicobar Islands
9. Rajasthan
10. Uttar Pradesh
11. Goa
12. Gujarat
13. Uttrakhand
14. Lakshadweep
15. Jammu & Kashmir
16. Laddakh
17. Telangana
18. Himachal Pradesh
19. Nagaland
20. Madhya Pradesh
21. Sikkim

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.29 18:56:59 +05'30'